MMRC

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : एमएमआरसी ट्रांसिट कार्यालय बिल्डिंग, ए विंग, इ- ब्लॉक, सिटी पार्क के उत्तर की ओर,
आयकर कार्यालय के पीछे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),मुंबई–400051, महाराष्ट्र

सार्वजनिक सूचनापत्र

मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशन, मेट्रो रेल्वे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 के तहत 'मुंबई मेट्रो लाइन–3' (एम.एम.एल.–3) परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो मेट्रो रेल प्रशासन को मेट्रो संरेखण के साथ या उस पर विभिन्न विकासों को विनियमित करने प्रावधान प्रदान करता है ।

लगभग 6.35 मीटर व्यास वाली एम.एम.एल.–3 की दो सुरंगें, लगभग 20–22 मीटर की दूरी पर तथा जमीन स्तर से लगभग 17–25 मीटर की गहराई पर, मुंबई मेट्रो लाइन–3 संरेखण के दोनों ओर स्थित कुछ संपत्तियों के नीचे से गुजर रही हैं (जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है)।

किसी भी विकास/पुनर्विकास के परिणाम स्वरुप मेट्रो सुरंगों, जमीन के ऊपर और नीचे मेट्रो संरचनाओं पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, मुंबई मेट्रो लाईन–3 से 100 मीटर के भीतर के प्रभाव क्षेत्र में परियोजना प्रस्तावकों (संपत्ति मालिकों, मकान मालिकों, गृहनिर्माण संस्थाए, असोसिएशन्स एवं इसी तरह की संस्थाओं) के लिए ट्यूबवेल की ड्रिलिंग या कुओं की खुदाई, निर्माण और विध्वंस, भू–तकनीकी जांच, खुदाई, किसी भी बुनियादी ढांचे को बिछाने सहित किसी भी विकास/पुनर्विकास को शुरू करने से पहले मुंबई मेट्रो रेल कोर्पोरेशन (एम.एम.आर.सी.) के 'निदेशक' (योजना और रियल एस्टेट डेवलपमेंट /एन.एफ.बी.आर.) को आवेदन करके अनुमति प्राप्त करनी होगी । उपरोक्त सभी जानकारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट (लिंक देखें :https://mmrcl.com/en/properties) पर उपलब्ध है ।

मेट्रो संरचना के निकट सभी पुनर्निर्माण/विकासों के दौरान निर्माणाधीन भूखंड के बाहर किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों को लागू करना अनिवार्य है। पैदल चलने वालों और आने–जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से, निर्माण गतिविधियों के दौरान गिरनेवाले निर्माण उपकरणसे, मलबा गिरनेसे या मचान/शटरिंग के ढहने जैसी संभावित दुर्घटनाओं से। तदनुसार, परियोजना प्रस्तावक उपकारणों का नियमित निरीक्षण करके, लोड को जमीन से कम से कम दूरी पर रखते हुए, लोड सीमाओं का पालन सख्ती से करते हुए और ओपेरेटरों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करते हुए निर्माण गतिविधियों और उपकरणों के संचालन से जुड़े जोखिमों और खतरों को कम करने के लिए परिचालन सुरक्षा मानकों (जैसे OSHA) का अनुपालन करेंगे। उक्त शर्त सभी विकास/पुनर्विकासों पर लागू है और उन विकासों पर भी लागू होगी जिनके लिए एम.एम.आर.सी. अनापत्ती प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त सूचनाओं का कठोरता से अनुपालन करणा अनिवार्य है, अन्यथा क़ानूनी कार्यवाही की जायेगी।

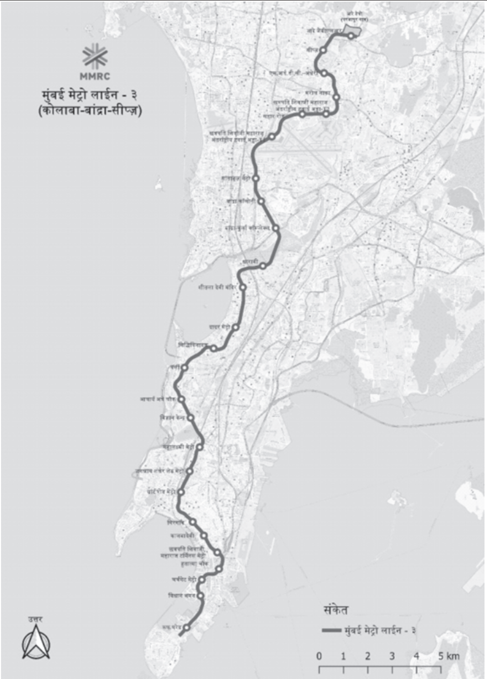

–हस्ताक्षरित–

श्री स्वेतल कनवालू

उप महाप्रबंधक (नगर नियोजन)

Size 16 x 11_cm_Hindi